राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/8/21	233/2021 मोहम्मद याकूब / मो. इदरीस	

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील अबेट की जाकर अपील ख़ारिज फरमाये जाने का पेश किया | जिसकी नकल अधिवक्ता अप्रार्थी/अपीलांट की दिलवाई गयी | तत्तपश्चात अधिवक्ता अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अबेटमेंन्ट एवं प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया | जिसकी नकल विपक्षी अधिवक्ता को दिलवाई गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस उक्त समस्त प्रार्थना पत्रों एवं स्थगन पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा अपने प्रार्थना पत्र बाबत अबेटमेंन्ट के सन्दर्भ में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 4 की मृत्यु दिनांक 22/04/2021 को हो गयी थी जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व रूप से रही है किन्तु 90 दिवस की निर्धारित अवधि में उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिससे अपील स्पष्ट रूप से अबेट हो गयी है अत: ख़ारिज फरमाई जावे | प्रार्थना पत्र स्थगन के सन्दर्भ में अधिवक्ता रेस्पो. ने यही निवेदन किया कि चूँकि अपील अबेट हो गयी है | इसलिये प्रार्थना पत्र स्थगन पर बहस का कोई बिन्दु अब शेष नही है | जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी/अपीलांट का मूल रूप से यही कथन रहा है कि अप्रार्थी/अपीलांट पढ़ा लिखा नही है केवल मात्र हस्ताक्षर करना जानता है एवं क़ानूनी प्रावधानों से अनजान है | रेस्पो. संख्या 4 की मृत्यु की जानकारी प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अबेटमेंन्ट से हुई जिस पर आज ही इस जवाब के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 ज़ाप्ता दीवानी मय धारा 5 प्रस्तुत कर दिया गया है | अत: अपीलांट को जानकारी होते ही उनके द्वारा बिना वक्त जाया किये कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही कर दी गयी है अत: प्रार्थना पत्र अबेटमेंन्ट ख़ारिज फरमाया जावे | प्रार्थना पत्र स्थगन के सन्दर्भ में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आदेश जैर अपील की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से ख़ारिज किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के लिए यह आवश्यक था की वह अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निर्धारित तीनो बिन्दुयो प्रथमद्रष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति का पूर्ण विवेचन कर निस्तारण किया जाता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर मनमाने रूप से आदेश जैर पारित किया है जिसकी क्रियान्विति न्यायहित में रोकी जावे एवं मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	233/2021	

उभयपक्ष की बहस की परिपेक्ष में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण की इस स्टेज पर इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र अबेटमेंन्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से रेस्पो.संख्या 4 की मृत्यु की जानकारी होना कथन कर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत रेस्पो. संख्या 4 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है, जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी को रेस्पो. संख्या 4 की मृत्यु की जानकारी पूर्व में नही होने का तथ्य प्रथमद्रष्टया सही प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र अबेटमेंन्ट ख़ारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है एवं तदनुसार वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गयी बहस के सन्दर्भ में आदेश जैर अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थी जो इस अपील के अपीलार्थी है के द्वारा बहस नही जाने पर उनके पक्ष में पूर्व में पारित एकपक्षीय अन्तरिम आदेश को आगे नही बढाये जाने का आदेश मात्र दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विवेचनात्मक आदेश दोनों पक्षों को सुनकर दिया जाना अभी शेष है ऐसे में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सीधे ही अपील के माध्यम से चाराजोही किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दिनांक 25/08/2021 को उभयपक्षों की समुचित सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पुर्ण विवेचनात्मक आदेश पारित करते हुये निस्तारण करे एवं उभयपक्षों को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 25/08/2021को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी ★ जयपुर (राजस्थान) ★